प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबन्धक
इलाही बख्श पब्लिक स्कूल, अफजलजगढ़ विकास खण्ड– अफजलगढ़
बिजनौर।

प्रत्रांक बेसिक/मान्यता/7318–23 /2014–15 दिनांक 9-01-15

विषयः– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उप नियम (4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मै इलाही बख्श पब्लिक स्कू, अफजलजगढ़ विकास खण्ड–अफजलगढ़(बिजनौर) को दिनांक 01–07–2014 से 30–06–2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये अंग्रेजी माध्यम से कक्षा–नसर्री से कक्षा–8 तक के लिये अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

अपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारकीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010(उपाबंध 2) के उपबधों के पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की प्रारम्भिक स्तर तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को सहायता प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जिसके पूरा होने तक जिम्मेदारी वहन करेगा।
4. पैरा–3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा।. ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
   (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाऐगा।
   (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार नि:शक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यक्ता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   (6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और
   (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

74

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–4360.00 वर्ग मीटर।

(2) कुल निर्मित क्षेत्रफल–881.80 वर्ग मीटर।

(3) कीड़ास्थल का क्षेत्रफल–खेल का मैदान उपलब्ध है।

(4) कक्षाओं की संख्या–10

(5) प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष–03

(6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है।

(7) पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।

(8) मिड डे मील पकाने के लिये रसोई–योजना लागू नहीं है।

(9) बाधा रहित पहुँच–है।

(10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12 स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कार्ड संख्या 05 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस को कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–2 पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण, यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(वेदराम)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पृ0सं0बेसिक/ /2014–15 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।

2.सचिव,उ0प्र0,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

3.मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

4.जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद–बिजनौर।

5. संबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकरी,जनपद–बिजनौर। नूरपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर